जनपद-संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 05.09.2024

दबिश के दौरान 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में **थाना बखिरा पुलिस** द्वारा वारण्टी नाम पता सफिक पुत्र अनवर निवासी पड़रिया थाना बखिरा जनपद संतकबीर नगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री शम्भूराम, हे0का0 कोमल प्रसाद, का0 अनुराग गुप्ता।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता 1- विजय पुत्र नन्दाकेवट निवासी कुआठोर थाना मेंहदावल जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री रामउग्रह, हे0का0 बदरेआलम।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 5996 द्वारा सड़क मार्ग में आटो और बाईक टक्कर हो जाने के कारण 04 व्यक्तियों को इलाज हेतु भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 5996 को थाना महुली क्षेत्रांतर्गत बरडाड़ से इवेन्ट संख्या 48496 से कालर द्वारा सड़क मार्ग में आटो और बाईक टक्कर हो जाने के कारण 04 व्यक्तियों (1- उपेन्द्र पुत्र रामखदेरन, 2-लखपत पुत्र जखई, 3- बहराइच पुत्र राजाराम, 4-इन्द्रजीत पुत्र महंथ निवासी नैनाझाला थाना महुली जनपद संतकबीरनगर) के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुँचकर दुर्घटना में घायल हुए व्यक्तियों को इलाज हेतु एम्बुलेंश 108 की सहायता से सीएचसी नाथनगर भेजवाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना महुली को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सुझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुँचकर दुर्घटना में घायल हुए व्यक्तियों को इलाज हेतु अस्पताल भेजवाया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

***पीआरवी स्टाफ-* मु0आ0 राजेश चौहान, आ0 संदीप कुमार, हो0गा0चा0 शेख अब्दुला।**

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 16 वाहनों से 14,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 05.09.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 16 वाहनों से 14,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले मे वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार पीड़िता/बरामद

जनपद में *मिशन शक्ति अभियान* के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के

मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री अजीत चौहान* के निकट पर्यवेक्षण में *थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा* मु0अ0सं0 626/2024 धारा 137(2)/87 बीएनएस के मामले मे वांछित अभियुक्त शहनवाज उर्फ गोलू पुत्र विफई उर्फ बल्ली निवासी बन्जरिया पश्चिमी थाना खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को दिनांक 16.08.2024 को मगहर के पास हाईवे के किनारे से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 15.08.2024 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध वादिनी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री मनीष कुमार जयसवाल, म0का0 पुनीता गौतम, हे0का0 सम्पुर्णानन्द, का0 अनिल प्रसाद।

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दुष्कर्म के मामलें में 01 अभियुक्त को 07 वर्ष कारावास व 30,000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में *संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल* के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 05.09.2024 को *न्यायालय – ASJ/FTC-2 , जनपद सन्तकबीरनगर* द्वारा *थाना महुली* पर पंजीकृत मु0अ0सं0 33/2011 धारा 376 भा0द0वि0 एक्ट के मामलें में अभियुक्त नाम पता गंगाराम चौधरी पुत्र हरीमराम निवासी बेल्डुहा थाना महुली जनपद सन्तकबीर नगर को धारा 376 भा0द0वि0 के आरोप में दोषी पाए जाने पर 07 वर्ष का कारावास एवं 30,000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 02 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगा। अदा किये गये अर्थदण्ड कि आधी धनराशि धारा 357 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत पीड़िता को बतौर प्रतिकार अदा कि जायेगी। धारा 428 सीआरपीसी के तहत दोषसिद्ध के द्वारा अभिरक्षा मे व्यतीत की गयी अवधि को उसकी सजा कि अवधि से मुजरा किया जायेगा। धारा 31 सीआरपीसी द्वारा दोषसिद्ध की सभी सजाएं साथ साथ चलेगी। सजायावी वारण्ट बनाकर अभि0 को सजा भुगतने हेतु जिला कारागार भेजा गया।